न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 47 / 2024
अनवान : –

1. अभिषेक पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. छलूराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. अरविन्द पुत्र संदीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. प्रमीला पुत्री छलूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री छलूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. ममता पुत्री सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6. मनप्रीत पुत्री संदीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
7. रूपराम पुत्र छलुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।
8. रविना पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

10. संदीप पुत्र छलुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/2/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135 / 126 के कुल खसरे 301 का कुल 5.9500 है. भूमि व खाता संख्या 751 / 172 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.8460 है0 भुमि व वादी के दादा छलूराम उर्फ छेलुराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है भूमि वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 8 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो कि प्रतिवादी सं. कि 1 कि पुत्री है व वादी व प्रतिवादी सं. 2 की भूआ है व प्रतिवादी सं. 7 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 कि बहिने है वह अपने भाईयो व भतीजो के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी सं. 5,6,8 जो वादी व प्रतिवादी सं. 2 कि बहिने है वह अपने भाईयो [illegible] के पक्ष मे अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने परित्याग कर [illegible] अपना कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है व प्रतिवादी सं. 7 जो कि वादी का [illegible]ता है वह रोही मोज[illegible] बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 751 / 172 के कुल खसरे 11 का कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षेत्रफल 1.8460 है0 भुमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर चुका है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता वादी रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135/126 के कुल खसरे 30 का कुल 5.9500 है. भूमि में से 1.572 है0 भूमि पर व 3.351 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 ब.हि.ब व शेष भूमि 1.027 है. भूमि में प्रतिवादी सं. 1 काबिज है वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 ने की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालनामा पेश कर ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन कि[illegible] पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधा[illegible] हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135/126 के कुल खसरे 301 का कुल 5.9500 है. भूमि व खाता संख्या 751/172 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 1.8460 है0 भुमि व वादी के दादा छलूराम उर्फ छेलुराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया है। उभयपक्षों द्वारा उक्त वाद भूमि को पैतृक दादलाई कृषि भूमि होना जाहिर किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135/126 के कुल खसरे 30 का कुल 5.9500 है. भूमि में से 1.572 है0 भूमि का वादी को व 3.351 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 2 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1.027 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी तथा छेलुराम कि वजाय छलुराम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 47 / 2024
अनवान : –

1. अभिषेक पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. छलूराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. अरविन्द पुत्र संदीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. प्रमीला पुत्री छलूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री छलूराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
5. ममता पुत्री सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
6. मनप्रीत पुत्री संदीप कुमार जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
7. रूपराम पुत्र छलुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।
8. रविना पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

10. संदीप पुत्र छलुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 47 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कटारिया तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 135 / 126 के कुल खसरे 30 का कुल 5.9500 है. भूमि में से 1.572 है0 भूमि का वादी को व 3.351 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 2 व तरतीवी प्रतिवादी सं. 10 को ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष 1.027 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी तथा छेलुराम कि वजाय छलुराम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर